सम्पादक के नाम

मुजफ्फरपुर में मामला कहीं ज्यादा खतरनाक है

ऐसा नहीं है कि रेप की शिकार सिर्फ 34 लड़कियां ही थीं। ये लड़कियां सैकड़ों भी हो सकती हैं। शेल्टर होम में लड़कियां आती-जाती रहती हैं। ये वहां की परमानेंट निवासी नहीं थीं। सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर सकते। सरकार का वश चले तो इन लड़कियों को भी बांग्लादेशी कहकर डिपोर्ट करा दे।

ये लड़कियां समाज के ही नहीं, दुनिया के सबसे कमजोर तबके से आती हैं। एक सात साल की मूक बधिर बच्ची, जिसका कोई नहीं है, उससे कमजोर इस दुनिया में और कौन है? इन लड़कियों को पुलिस ने किसी रस्ते से, किसी चौराहे से या किसी ट्रेन से उठाया होगा और यहां पहुंचा दिया होगा। हो सकता है किसी और ने पहुंचाया हो। इन लड़कियों से अभी तक ये नहीं पूछा गया है कि शेल्टर होम में आने से पहले उनके क्या अनुभव रहे हैं। लोगों ने क्या किया है उनके साथ। शोषण तो किया ही होगा।

अगर इतनी वल्नरेबल लड़कियों को मर्दों की निगरानी में छोड़ा जाये तो पाशविक प्रवृत्ति के वशीभूत होकर एक साधारण घर-परिवार चलानेवाला व्यक्ति भी उनका शोषण कर लेगा। कल्पना कीजिए कि दिन-रात एक मर्द 10-15 लड़कियों की रखवाली करता है। इन लड़कियों का कोई नहीं है, ये अनपढ़ हैं, समाज की नजर में इनका कोई अधिकार नहीं है। और ये मर्द इन सबके खाने-पीने रहने का इंतजाम करता है। इन लड़कियों को अपना अधिकार तो नहीं पता है। इन्हें मीडिया, सिनेमा, लिटरेचर या फिर सामान्य घरों की बात भी नहीं पता है। जो लाया, वो क्या कह रहा है, वही फाइनल है उनके लिए। जिस पुलिसवाले ने यहां तक पहुंचाया, उसका विरोध करना भी असंभव ही रहा होगा। तो ये लड़कियां इस मर्द के सामने क्या बोल पाएंगी?

फिर उस मर्द के सामने क्या बोल पाएंगी जो दस-दस गनर ले के आता हो इनसे मिलने? TISS की टीम के सामने भी ये लड़कियां बस 'गंदा काम' ही बोल पा रही थीं। उनके बयान पढ़ के लगा कि मारने-पीटने से उनको दर्द तो हुआ, पर गंदा काम एक ही था। शायद बाकी से वो एडजस्ट भी कर लेतीं। उनके पास कोई चुनाव नहीं था। अभी तक समझ नहीं आया कि इन लड़कियों को उन मर्दों को अंकल बुलवाना किसने सिखाया।

इनकी परिस्थिति ऐसी थी कि किरण कुमारी, जिनका घर-परिवार भी है, जो इनकी केयरटेकर थीं, वो भी इनका शारीरिक शोषण करने लगीं। उनके कपड़े उतरवा के साथ सोती थीं। छेड़-छाड़ करती थीं। किसी को नहीं पता कि उनमें लेस्बियन ट्रेट थे कि नहीं, अगर थे भी तो ये डिस्कवर करने की जगह नहीं थी। सच तो ये है कि शोषण का स्तर इतना ज्यादा था कि जिसको कोई मतलब नहीं था, वो भी खूंखार रेपिस्ट हो गया। एक महिला ने कम उम्र की लड़कियों का खुद शारीरिक शोषण किया और दूसरे मर्दों से करवाया।

ऐसी वल्नरेबल स्थिति वाली लड़कियों के लिए किसी सामाजिक अध्ययन की जरूरत नहीं है। अपने आस-पास के घरों में देख लीजिए। कमजोर आर्थिक सामाजिक स्थिति वाली लड़कियों के साथ क्या होता है। मामा के घर जाती हैं, तो वहीं के लोग शोषण कर लेते हैं। बुआ के घर गईं तो वहां के लोग। अब तो चाचा के घरवाले भी करने लगे हैं। अगर कहीं काम पर लग गईं तो पूरी व्यवस्था के लिए वो खिलौना बन गईं। कहना ना होगा कि इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले ही एक 10 साल की लड़की का 22 लोगों ने रेप किया था महीनों तक। उसमें 15 साल से लेकर 66 साल तक के पुरुष शामिल थे।

प्रशासन पता नहीं क्यों आंख बंद कर के रहता है। समाज भी। जहां भी ऐसी लड़कियां हैं, वहां उनका शोषण होगा ही। चाहे वो हमारे घर हों, स्कूल-कॉलेज हों, नौकरी संस्थान हों या फिर शेल्टर होम्स हों। इस चीज में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ममता कालिया ने आउटलुक के ताजा अंक में लिखा है कि धिक्कार से, मक्कार से और जयकार से प्रबुद्ध लोगों ने 'नारी की देहमुक्ति' की बात की। जब पढ़ी-लिखी लड़कियों का शोषण करने से बाज नहीं आते लोग, तो ये लड़कियां तो बिल्कुल ही कमजोर थीं। इनके पास तो प्रतिरोध करने की बातें नहीं थीं। सोचने में अजीब लगता है, ये लड़कियां आपस में क्या बातें करती होंगी। क्या कहती होंगी अपने अनुभवों के बारे में। कोई आता होगा तो क्या गुजरता होगा इनके मन पर। क्या गुजरता होगा इनके शरीर पर। आपस में क्या कहती होंगी ये! कैसे दिलासा देती होंगी। 15 साल की लड़की ने 7 साल की बच्ची से क्या कहा होगा। 19 साल वाली ने 15 साल वाली से क्या कहा होगा। 7 साल वाली से किसी ने बात भी की होगी या नहीं। या सब चुपचाप इग्नोर कर रहे होंगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।

ब्रजेश ठाकुर की हंसी बताती है कि ना तो वो अकेला है, ना ही बस 34 लड़कियां हैं। अगर उसका हाथ नहीं होता इस मामले में तो वो हंसता नहीं। एक साधारण निर्दोष इंसान पैनिक तो जरूर करता। उसे पता है कि बिहार के शीर्ष लोग भी शामिल हैं इस मामले में। छोटी बच्चियों के शोषण की फेटिश बढ़ती ही जा रही है बूढ़ों में। सबसे बड़ी बात कि उसकी पहचान करनेवाली लड़की गायब करा दी गई है। वो भी तब जब कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है। ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे। वो छूट जायेगा। बाकी तो कोई पकड़ा ही नहीं जायेगा।

ये मामला राम-रहीम और आसाराम वाले मामलों के टक्कर का है। इनमें भी जब तक चार-पांच लोग अपनी जान नहीं देंगे, प्रशासन कुछ नहीं करेगा। धीरे-धीरे सारे सबूत गायब कर दिये जायेंगे। अंत में यही आ जायेगा कि गलत रिपोर्ट आ गई। सेक्सुअली एक्टिव होने की आशंका जताई गई थी, रेप की नहीं। छह महीने बाद इस केस को कौन पूछेगा? अगर पूछना ही होता तो देश के बाकी बालिका गृहों पर अब तक छापे पड़ चुके होते। कौन कह रहा है कि ऐसी जगहों पर शोषण नहीं होता? सबको पता है कि 'कोशिश' की टीम हर जगह नहीं जा सकती। जहां गई, वहां का बवाल काट लो। बस।

किरण कुमारी के मानस की जांच कराई जानी चाहिए। इस पूरे प्रकरण के दौरान क्या चल रहा था इनके मन में।

- शिवम् मोहनपुरिया

काले झंडे दिखाने पे एक लड़की को 14 दिन की पुलिस रिमांड... बलात्कारी ब्रजेश को सबूतों के बाद भी...यही अच्छे दिन हैं साहब...

बड़ी अजीब विडंबना है , एक जानवर के साथ देख लेने मात्र से मुसलमान को कूंच कूंच कर मार देने वाले महाप्रतापी हिन्दुत्ववादी लोग मुजफ्फरपुर और देवरिया में पचासों हिन्दू बच्चियों के वीभत्स बलात्कार पर चुप हैं। ज़रा सोचिए कि यह कैसे हिन्दूवादी लोग हैं जो हिन्दू बच्चियों के बलात्कार पर एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। न वो भगवा गुंडे कहीं नज़र आ रहे हैं न वो गो आतंकी कहीं नज़र आ रहे हैं जिनका हिन्दुत्व एक मुसलमान के एक गाय मात्र पालने से खतरे में आ जाता है, 7 साल तक की हिन्दू बच्चियाँ वर्षों से बलात्कार पर बलात्कार की जाती रहीं और इससे इनका हिन्दुत्व खतरे में नहीं आया।

दिल्ली की शराबी सिगरेटबाज कोई फैमीनिस्ट, महिला आयोग और महिलाओं के हक के लिए इस्लाम को और मुसलमानों को कोसने वाली वह ख्वातीन भी नज़र नहीं आयीं, न वह ललनिया नज़र आईं जिनको बकरी के झूठे साबित हो गये बलात्कार में झूठे आरोपी मुसलमान में शैतान नज़र आया।सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, साईना एनसी, मिनाक्षी लेखी, किरन खेर, मेनका गाँधी तक सब चुप हैं और कराह रहीं हिन्दू बच्चियों की आह को अपनी चुप्पी से दबा रही हैं। महामानव मोदी भी चुप है , योगी भी चुप है , हिन्दू हितों के लिए ज़हर उगलने वाला गिरिराज सिंह चुप है तो अश्वनी चौबे, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया तक चुप हैं। रोहित सरदाना, अमीष देवगन, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, सुमित अवस्थी इत्यादि जैसे हिन्दुत्ववादी पत्रकार भी चुप हैं।

आजतक, जी न्यूज, टीवी 18, एबीपी और तमाम अन्य हिन्दुत्ववादी न्यूज़ चैनल भी चुप हैं। इतनी हिन्दू बलात्कार पीड़ित बच्चियों का आरोपी ब्रजेश ठाकुर अपनी गिरफ्तारी के बाद भी हंस रहा है, वह जानता है कि उसने जिसकी जिसकी सेवा की वह सब खुद को बचाने के लिए उसको बचाएंगे। और ब्रजेश ठाकुर को बचाने का खेल इन्हीं हिन्दुत्ववादी लोगों ने सोशलमीडिया पर खेल दिया जब मेवात में एक बकरी से सामूहिक बलात्कार की झूठी घटना को प्रचारित कर के ब्रजेश ठाकुर को कवर करने के लिए वायरल करा दिया जबकि मामला दो लोगों की आपसी रंजिश का था। बकरी के पोस्टमार्टम में उसके साथ बलात्कार की बात झूठी निकली परन्तु बच्चियों के मेडिकल चेकअप में हर दिन बलात्कार की पुष्टि हो रही है। इसीलिए वह गिरफ्तारी के बाद भी हंस रहा है। उसे यही हिन्दूवादी लोग बचाएंगे। इनका इतिहास भी यही कहता है।

- विनीत जैन

खबर (दार) झरोखा

विकास नारायण राय

नीतीश कुमार और योगी पर पोक्सो तलवार

मुजफ्फरपुर बाल गृह प्रकरण में शुरुआती चुप्पी के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने ही दिलेर शब्दों में अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की बात करें, पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत हो रही जांच में स्वयं उनकी भूमिका का भी आपराधिक पाया जाना अप्रत्याशित नहीं होगा। कम से कम, सीबीआई को इस पहलू को भी अपनी जांच में शामिल करना ही पडेगा।

पोक्सो एक्ट के चैप्टर पांच की धारा 19 और 20 में सम्बंधित सरकारी व्यक्तियों, मीडिया, एनजीओ, काउंसेलर, होटल, क्लब, स्टूडियो इत्यादि पेशेवर समेत सभी पर जिम्मेदारी डाली गयी है कि वे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की भनक मिलते ही स्थानीय पुलिस या बाल-अपराध पुलिस यूनिट को सूचित करेंगे। ऐसा न करने वालों या इस तरह की सूचना पर कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों को इसी चैप्टर की धारा 21 में छह माह तक सजा का प्रावधान है।

लिहाजा, नितीश और उनके नौकरशाहों की भूमिका पोक्सो एक्ट की इन धाराओं के अंतर्गत जांची जानी चाहिये। जिला प्रशासन से लेकर मंडल और राज्य स्तर तक सरकारी अमले और एजेंसियों का एक समूचा पदानुक्रम होता है जिस पर ऐसे परिसरों में होने वाले तमाम कार्यकलाप के नियमित निरीक्षण, काउंसलिंग और ऑडिट की जिम्मेदारी आयद रहती है। उनकी रिपोर्टें नौकरशाही के वरिष्ठ स्तरों और मंत्रियों तक भी देखी जाने और तदनुसार कार्यवाही की व्यवस्था है।

मुजफ्फरनगर प्रकरण में 'टिस' जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के नितीश सरकार के अनुदान से चलने वाले बालगृह का सोशल ऑडिट किया था। उन्हें सरकार को रिपोर्ट सौंपे भी दो माह से अधिक समय हो चुका था। अब चल रही सीबीआई जाँच से यह भी स्पष्ट होगा कि जिला मुख्यालय, राज्य सचिवालय और मंत्रालय समेत किन स्तरों पर और किनकी शह पर धारा 21 पोक्सो एक्ट का खुला उल्लंघन किया गया।

पोक्सो की नितीश, उनके मंत्रियों और वरिष्ठ नौकरशाहों पर लटकती तलवार को समझने के लिए एक नजर मई 2012 के ऐसे ही एक मामले, रोहतक का 'अपना घर' प्रकरण, पर डाल सकते हैं जिसका फैसला इसी अप्रैल में पंचकुला सीबीआई अदालत से आया है। तब अभी पोक्सो एक्ट नहीं बना था और जघन्य कांड के प्रकाश में आने के छह साल बाद केवल इस आश्रय स्थल के संचालकों और सहायकों को ही सजा मिल सकी है। हालाँकि, इसमें सीबीआई ने त्वरित जांच की और अदालत ने भी सजा देने में कोई कम दिलेरी नहीं दिखायी; जज ने कुल सात दंडित में से तीन को आजीवन कारावास भी पकड़ाया। सीबीआई जज जगदीप सिंह वही थे, जिन्होंने कुख्यात धर्मगुरु राम रहीम को व्यभिचार में बीस वर्ष का कारावास दिया था।

'अपना घर' मामले का खुलासा तीन निवासी लड़कियों के भागकर दिल्ली पहुँचने और एक हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी बात कह पाने से हो पाया था। अन्यथा राज्य के अधिकारी खामोश ही थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने तीन दिन बाद 'अपना घर' परिसर पर छापा मारा जहाँ उन्हें सेक्स और श्रम शोषण की असहाय शिकार, सौ से अधिक लड़कियां मिलीं। लेकिन जहाँ सरकारी अनुदान से चलने वाले इस एनजीओ के कर्ता-धर्ता पक्के गये, वहीँ इसका नियमित निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया सरकारी अमला, रोहतक से चंडीगढ़ तक का, साफ बच निकला। वरिष्ठ नौकरशाहों और मंत्रियों की आपराधिक भूमिका तो तब जांच का विषय ही नहीं बन सकी थी। पोक्सो एक्ट के उपरोक्त प्रावधानों ने अब इस कमी को दूर कर दिया है।

इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री योगी के पड़ोसी जिले देवरिया में एक बालिका गृह का मुजफ्फरपुर जैसा ही मामला राजनीतिक बयानों से निपटाने में व्यस्त दिखती है। यहाँ भी एक निवासी लड़की के किसी प्रकार यातना परिसर से निकलकर महिला थाना तक पहुँच पाने से ही प्रभावी संरक्षण में चल रहे इस व्यापक यौन शोषण का पर्दाफाश हो सका। अन्यथा राज्य सरकार की एजेंसियां तो खामोश ही चल रही थीं। अधिक दिन नहीं हुए, एक जिला कलक्टर ने इसी संस्था को मुख्यमंत्री की सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्र बता डाला था।

देवरिया प्रकरण में भी गिरफ्तारियां सिर्फ संचालकों तक सीमित हैं। जाहिर है, योगी भी नीतीश से भिन्न नहीं हैं और जांच का दायरा पोक्सो एक्ट की धारा 19-21 तक नहीं बढ़ाया गया है। सवाल है, एक्ट तो बन गया पर बच्चों के यौन शोषण पर चुप रहने वाले अधिकारी और शह देने वाले प्रभावी व्यक्ति गिरफ्त में कैसे आ पायेंगे? जांच की आंच नीतीश और योगी तक पहुंचेगी?

मोदी सरकार ने नियमों को ताक पर रख शुरू किया गोरखपुर परमाणु सयंत्र का काम : परमाणु संयत्र के 10 किमी के दायरे में है हजारों की आबादी

संजय आहूजा की विशेष रपट

हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में मोदी सरकार ने जबरन परमाणु संयंत्र का काम शुरु कर दिया है जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गई है। पूरी दुनिया जहां परमाणु रिएक्टरों से तौबा कर रही है वहीं मोदी सरकार देश पर एक के बाद एक परमाणु संयंत्र थोप रही है जिसमें एक है गोरखपुर परमाणु संयंत्र।

किसी भी जगह जब परमाणु संयंत्र लगाया जाता है, तब ये देखा जाता है कि उसके आसपास आबादी वाला क्षेत्र तो नहीं है। क्योंकि इसकी रेडिएशन से 30 किलोमीटर तक जनजीवन को खतरा रहता है। फतेहाबाद के गोरखपुर में जो परमाणु संयंत्र लगने जा रहा है, वह बिल्कुल आबादी के मध्य में है। गांव गोरखपुर इसके बिल्कुल पास स्थित है। नियमों के मुताबिक परमाणु संयंत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में 20 हजार से कम और 15 किलोमीटर के दायरे में एक लाख से कम आबादी होनी चाहिए।

हकीकत ये है कि इस संयत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में गोरखपुर के अलावा कुम्हारिया, काजलहेड़ी गांव आते हैं। वहीं 10 किलोमीटर के दायरे में बड़े गांव बड़ोपल, खारा खेड़ी, एमपी रोही, मोचीवाली जैसे आधा दर्जन गांव आते हैं। इनकी आबादी लगभग 20 हजार है। संयंत्र से फतेहाबाद शहर की दूरी केवल 23 किलोमीटर है। फतेहाबाद की आबादी करीब एक लाख है। नियमों को ताक पर रखकर इस सयंत्र को यहां बनाया जा रहा है। संयंत्र के लिए अधिग्रहित जमीन के दायरे में बढ़ोपल के आसपास का कुछ एरिया भी शामिल है, जोकि वन्य प्राणी संरक्षित है। सयंत्र के बनने से जीवों को दिक्कत आ सकती है, बल्कि इसके आसपास बसी आबादी को भी बड़ा खतरा है।

पानी निकालने में हो रहा नियमों का उल्लंघन

एनपीसीआईएल की ओर से गोरखपुर परमाणु संयंत्र की जमीन से पानी निकाल कर नहर में डाला जा रहा है। एक आरटीआई में मांगी गई जानकारी में खुलासा हुआ है कि एनपीसीआईएल नियमों का उल्लंघन कर रहा है। संयंत्र प्रबंधन की ओर से भूमिगत पानी निकालने को लेकर कोई अनुमति ली गई हो, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। पानी का लेवल 3 मीटर बाद ही निकला है। संयंत्र की जमीन से करीब 2200 क्यूसिक पानी निकलना है। यहां के ग्रामीणों राजेंद्र कुमार, फकीर चंद, सुभाष, सुरेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, राजकुमार, रोहताश, महेंद्र कुमार, रघुबीर सिंह आदि ने पिछले दिनों डीसी को ज्ञापन सौंपकर बताया था कि इस प्रक्रिया से दो नुकसान हैं। पहला जमीन से इतना ज्यादा पानी निकालने से आसपास जल स्तर कम हो जाएगा। दूसरा, जो पानी जमीन से निकाल कर नहर में डाला जा रहा है, उसका टीडीएस 2600 है। जोकि एक तरह से जहरीला पानी है। इससे फसलों को नुकसान होगा।

आरटीआई में ये मिली जानकारी

आरटीआई कार्यकर्ता सतपाल भादू ने संयंत्र की जमीन से पानी निकालने जाने को लेकर पिछले दिनों गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना से आरटीआई के माध्यम से कुछ जानकारी मांगी थी। इसमें उन्होंने पूछा था कि जमीन का पानी नहर में डालने के लिए सिंचाई विभाग व भाखड़ा प्रबंधन से कोई अनुमति ली गई है तो पत्र दिखाएं। जवाब में अनुमति मांगने की प्रति जरूर लगाई गई है, लेकिन अनुमति मिलने का पत्र नहीं है। वहीं पूछा था कि जमीन का पानी नहर में डालने के लिए जीएचएवीपी द्वारा सिंचाई विभाग हरियाणा से कोई अनुमति ली गई है। जवाब मिला कि कोई पत्राचार नहीं हुआ है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

परमाणु मामलों के विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद कुमार का कहना है कि परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन महंगा और जोखिम भरा है। इसके भयानक प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। दुर्घटना के खतरे के अलावा, हर परमाणु संयंत्र अपने साथ रेडियोधर्मी कचरा भी लाता है, जो सैकड़ों और हजारों साल तक हानिकारक बना रह सकता है। आज भी इस कचरे के निस्तारण के लिए कोई उचित हल मौजूद नहीं है। रेडियोधर्मी प्रभाव से प्राणियों के जीन एवं गुणसूत्रों पर प्रभाव, जिनके आनुवांशिक प्रभाव से विकलांगता एवं अपंगता हो जाती है। इसके प्रभाव क्षेत्र में आने पर कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। इससे त्वचा, खून की गुणवत्ता, हड्डियों में मौजूद मज्जा, सिर के बालों का झड़ना, शरीर में रक्त की कमी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण गर्भ में पल रहे शिशु की मौत तक हो सकती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण पेड़-पौधों, जीव-जन्तुओं, खाद्य सामग्री आदि को प्रभावित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियोधर्मी-स्रोतों के खनन के दौरान पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। रेडियोधर्मिता पेड़-पौधों एवं भोजन के द्वारा अन्य जीवों तक पहुंच कर खाद्य-शृंखला का हिस्सा बनती है। ये जल के स्रोतों तथा वायुमंडल में भी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं।

-साभार